व्यापार समझौतों से निर्यात को मिलेगा विस्तार

2026 में सीमा शुल्क, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव

नई दिल्ली, 12 दिसंबर. वर्ष 2025 भारत की आर्थिक यात्रा में बदलाव का प्रतीक बनकर उभरा. इस वर्ष किए गए सुधारों ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त आधार दिया बल्कि 2026 के लिए नई दिशा भी तैयार की. इनकम टैक्स ढांचे में बदलाव, जीएसटी व्यवस्था की सरलता और लेबर कोड के लागू होने की तैयारी जैसे कदमों ने सुधारों की एक ठोस नींव रखी. लेबर कोड अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसके वास्तविक प्रभाव नए वर्ष में दिखाई देंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी बजट में सीमा शुल्क सुधारों की झलक देने के संकेत दिए हैं. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, सरकार विकसित देशों के मॉडल को अपनाते हुए मैन्युफैक्चरिंग और सामाजिक सेक्टर में कई नई स्कीमें लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. खासकर उन कच्चे माल के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन पर जोर रहेगा जिन पर भारत आयात-निर्भर है. सरकार जन विश्वास बिल का नया संस्करण लाकर कारोबार और नागरिकों से जुड़े प्रक्रियाओं को और सरल बनाने जा रही है. इसके साथ ही, वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग लाइसेंस देने की संभावना है. सरकार आने वाले वर्ष में कई बैंकों के विलय को भी मंजूरी दे सकती है ताकि भारत के पास वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बैंक तैयार हों. इंश्योरेंस सेक्टर भी बड़े बदलावों की दहलीज पर है. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100त्न करने की घोषणा तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन कानून में आवश्यक संशोधन 2026 में होकर सेक्टर में संरचनात्मक परिवर्तन ला सकते हैं.

> वर्ष 2026 भारतीय निर्यात के लिए भी मील का पत्थर बनने जा रहा है. ब्रिटेन के साथ एफटीए लागू होने वाला है, जबकि ओमान, यूरोपीय यूनियन और न्यूजीलैंड के साथ समझौते भी अगले वर्ष प्रभावी हो सकते हैं. अमेरिका के साथ पहले चरण के व्यापार करार की संभावनाएँ भी मजबूत हैं. इन समझौतों से विकसित देशों में भारतीय निर्यात को कम शुल्क का लाभ मिलेगा और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी. कुल मिलाकर, 2025 सुधारों का वर्ष था और 2026 इन सुधारों को रफ्तार देने का. सरकार का व्यापक लक्ष्य स्पष्ट है—भारत को 2047 तक विकसित और मजबूत आर्थिक शक्ति बनाना.

सरकार ने दी कोयले का निर्यात करने की मंजूरी

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर. सरकार ने कोयला क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ते हुए आज इसके निर्यात को मंजूरी दे दी.

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कोयले के निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग हेतु नीलामी नीति को मंजूरी दे दी है. इसके तहत कोल सेतु विंडो नामक एक नयी विंडो बनाई गई है, जिससे कोयले का उपयोग किसी भी औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए किया जा सकेगा. यह नयी नीति सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ती है. उन्होंने कहा कि औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए दीर्घकालिक आधार पर नीलामी हेतु कोयला लिंकेज का आवंटन किया जाएगा. इसके लिए 2016 की गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी नीति में कोल सेतु नामक एक अलग विंडो जोड़ी गयी है जिसमें कोयले की आवश्यकता वाले कोई भी घरेलू खरीदार लिंकेज नीलामी में भाग ले सकते हैं.

मेदांता गुरुग्राम ने शुरू की किडनी के लिए उपचार व्यवस्था

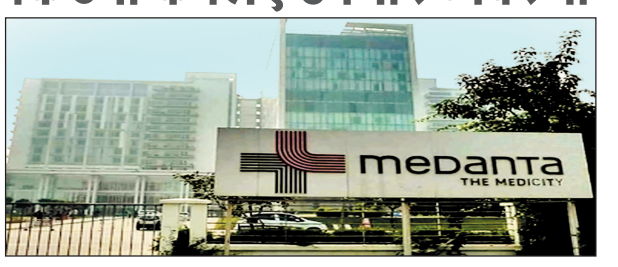

जबलपुर, 12 दिसंबर. बीते 6 वर्षों से लगातार न्यूजवीक द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल चुने जा रहे, गुरुग्राम-स्थित मेदांता-द मेडिसिटी अब जबलपुर के लोगों के लिए किडनी रोगों और किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़ी बेहतरीन व उन्नत विशेषज्ञता जबलपुर लेकर आ रहा है. यह कदम उन मरीजों के लिए राहत लेकर आया है, जो अब तक किडनी की जटिल बीमारिओं के इलाज के लिए बड़े शहरों मे जाने को मजबूर होते थे.

मेदांता गुरुग्राम के सीनियर डायरेक्टर और नेफ्रोलॉजी विभाग प्रमुख डॉ. देबब्रत मुखर्जी के नेतृत्व में जबलपुर में हर माह ओपीडी होगी, जिसमें जटिल किडनी रोगों के लिए सतीक सलाह और विशेषज्ञ इलाज उपलब्ध कराया जाएगा. मेदांता का किडनी ट्रांसप्लांट कार्यक्रम अपने सफल परिणामों और जटिल मामलों के इलाज के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूप से जाना जाता है. यहां एबीओ कंपैटिबल और एबीओ इनकंपैटिबल ट्रांसप्लांट, जीवित व मृत दाताओं से ट्रांसप्लांट, कई अंगों का ट्रांसप्लांट और अधिक संवेदनशील मरीजों का विशेष इलाज किया जाता है. विभाग में क्रिटिकल केयर नेफ्रोलॉजी, किडनी बायोप्सी, एवी फिस्टुला सर्जरी, डायलिसिस कैथेटर लगाना और एडवांस्ड डायलिसिस सेवाओं की पूरी व्यवस्था एक साथ उपलब्ध है. इस पहल का उद्देश्य उच्चस्तरीय जांच और इलाज को मरीजों तक उनके ही शहर में पहुंचाना है.

> मेदांता का किडनी ट्रांसप्लांट कायक्रम अपने सफल परिणामों और जटिल मामलों के इलाज के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूप से जाना जाता है

एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी सटीक इलाज और निरंतर देखभाल

डॉ. देबब्रत मुखर्जी ने कहा कि नई ओपीडी सेवाओं से जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को किडनी रोगों के लिए समय पर विशेषज्ञ परामर्श और सुरक्षित, आधुनिक इलाज घर के नजदीक ही मिल जाएगा. उन्होंने कहा, जबलपुर में नेफ्रोलॉजी ओपीडी की शुरुआत का उद्देश्य उन्नत किडनी देखभाल को बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय उसे जरूरतमंदों के पास तक आसानी से पहुंचाना है. मरीजों को अब विशेषज्ञता आधारित जांच, सटीक इलाज और निरंतर देखभाल एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी. हमारा प्रयास है कि वैज्ञानिक इलाज को जरूरी करुणा और सटीकता के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए.

श्रेष्ठ विश्वविद्यालय ही किसी देश को श्रेष्ठ बनाते हैं : मुकेश अंबानी

गाँधीनगर , 12 दिसंबर देश के सबसे अमीर उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों के योगदान को रेखांकित करते हुए गुरुवार को कहा कि जिन देशों के विश्वविद्यालय श्रेष्ठ स्तर के होते हैं वही देश दुनिया का नेतृत्व करते हैं. श्री अंबानी यहां पंडित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे. वह इसके संचालन मंडल के अध्यक्ष हैं. जानेमाने उद्योगपति और टॉरेंट के प्रमुख सुधीर मेहता समारोह के मुख्य अतिथि थे.

रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख ने अमेरिका, उससे पहले यूरोप और जापान तथा अब चीन का उदाहरण देते हुए कहा , जो देश विज्ञान और तकनीक में मजबूत होते हैं, वही आर्थिक महाशक्ति बनते हैं और दुनिया में वही राष्ट्र नेतृत्व करते हैं जिनके विश्वविद्यालय विश्वस्तर पर श्रेष्ठ होते हैं. श्री अंबानी ने कहा, अब बारी भारत की है - और हमें सभी से बेहतर करना है.

महेंद्रगढ़ सीयूएच में एनबीसीसी का बड़ा अवसंरचनात्मक प्रोजेक्ट

गुरूग्राम, 12 दिसंबर. एनबीसीसी लिमिटेड ने हरियाणा केंद्रीय विश्व विद्यालय, महेंद्रगढ़ में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास और संबंधित कार्यों के लिए भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया. 196.98 करोड़ मूल्य की यह परियोजना एनबीसीसी को डिजाइन, इंजीनियरी, अधिप्राप्ति और निर्माण के आधार पर सौंपी गई है. समारोह में प्रो. टंकेश्वर कुमार, माननीय कुलपति, सीयूएच; प्रो. पवन कुमार शर्मा, सम कुलपति; डॉ. सुनील कुमार, कुल सचिव; श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी; श्री राजीव कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, एनबीसीसी; विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण एनबीसीसी के पदाधिकारी उपस्थित रहे. परियोजना सिंहावलोकन विकास योजना में कुल 41,339 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल वाले छह प्रमुख भवनों का निर्माण शामिल है. ये सुविधाएँ विश्वविद्यालय की शैक्षिक, शोध आवासीय क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई हैं. परियोजना के प्रमुख घटक स्कूल ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ब्लॉक- स्मार्ट कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, संकाय कक्ष शैक्षिक सहयोगात्मक स्थान. व्याख्यान कक्ष परिसर- मौजूदा शैक्षिक ब्लॉक-1 के पीछे स्थित 16 आधुनिक व्याख्यान कक्षों का समूह.

सेंट्रल इंस्ट्रमेंटेशन सेंटर

उन्नत शोध उपकरणों और विश्लेषणात्मक कार्य के लिए समर्पित सुविधा.कंप्यूटर सेंटर बिल्डिंग- शैक्षिक कंप्यूटिंग और ई-गवर्नेंस सेवाओं के लिए केंद्रीकृत आईटी हब. लड़कियों का छात्रावास (630 क्षमता) आधुनिक सुविधाओं के साथ सुरक्षित और अच्छी तरह से सुसज्जित आवासीय ब्लॉक. संधारणीय विशेषताएं परियोजना में सौर ऊर्जा प्रणालियों और हरित निर्माण पद्धतियों को शामिल किया गया है. इससे ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय संधारणीयता के लिए न्यूनतम गृह (जीआरआईएचए) 3 - स्टार रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य है. नवीन अवसंरचना विश्वविद्यालय के शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करेगी और उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उसके मिशन को समर्थन प्रदान करेगी.

JANA SMALL FINANCE BANK
(A Scheduled Commercial Bank)

पंजीकृत कार्यालयः- द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे क्रमांक 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोम्लुर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के पास, चल्लघट्टा, बेंगलुरु-560071। शाखा कार्यालयः- प्लॉट क्रमांक 306-ए, पीयू 4, स्कीम क्रमांक 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर-452010।

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस।

जबकि, आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और बंधककताओं ने अपनी अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड से ऋण लिया है। आप सभी द्वारा की गई चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वगीकृत किया गया है, जबकि जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड अधिनियम के तहत एक सुरक्षित ऋणदाता होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककताओं को नोटिस की तारीख से **60 दिनों** के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि को उस पर भविष्य के ब्याज सहित चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया है, लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को नोटिस नहीं दिया जा सका।

सं. क्र.	उधारकर्ता का नाम/ सह-उधारकर्ता/गारंटर/ बंधककर्ता	ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	लागू की जाने वाली सुरक्षा का विवरण	एनपीए की तिथि और मांग नोटिस की तिथि	देय राशि रुपये में/दिनांक तक
1	1) श्री इरफान गौरी, पुत्र सिराजगौरी, 2) श्रीमती सलामबी गौरी, पत्नि सिराज गौरी, 3) श्रीमती अस्मा गौरी, पत्नी इरफान गौरी	ऋण खाता सं. 31909610000015 31909630000034 ऋण राशिः रू. 35,00,000/-	अचल संपत्तिः आवासीय भूखंड संख्या 18 (संशोधित भूखंड संख्या 14), जिसका क्षेत्रफल 650 वर्ग फुट (60.40 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्मित भूमि का पूरा टुकड़ा, डायवर्टेड भूमि शीट संख्या 16, सरोजनी नायडू वार्ड संख्या 9, नया वार्ड संख्या 11, ब्लॉक संख्या 1ए, सलूजा कॉलोनी में स्थित, नगर पालिका निगम खंडवा, तहसील एवं जिला खंडवा (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर। सीमाएँ (बिक्री विलेख के अनुसार): पूर्व में भूखंड संख्या 19, पश्चिम में रेलवे की भूमि, उत्तर में कॉलोनी रोड और दक्षिण में जब्रान कॉलोनी। (वास्तविक स्थल के अनुसार): पूर्व में अर्जुन पवार, पश्चिम में रेलवे की भूमि, उत्तर में कॉलोनी रोड और दक्षिण में जब्रान कॉलोनी।	01-10-2025 और 18-11-2025	रू. 33,96,864.29 (तैंतीस लाख छियानवे हजार आठ सौ चौंसठ और उनतीस पैसे मात्र) 12.11.2025 तक
2	1) श्री प्रकाश चन्द्र परमार, पुत्र भेरू लाल, 2) श्री भेरूलाल परमार, पुत्र राम जी, 3) श्रीमती मादा बाई परमार, पत्नि भेरुलाई	ऋण खाता सं. 45589630000125 45589630000813 45589410001016 ऋण राशिः रू. 10,65,000/-	अचल संपत्तिः प्लॉट संख्या 02 का उत्तरी भाग, जिसका कुल क्षेत्रफल 562.50 वर्ग फुट (52.25 वर्ग मीटर) है, सर्वेक्षण संख्या 133 का हिस्सा है, जो जनता नगर, ग्राम राजगढ़, तहसील एवं जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) में स्थित है। इसकी सीमाएँ पूर्व में गली, पश्चिम में सड़क, उत्तर में प्लॉट संख्या 01 और दक्षिण में प्लॉट संख्या 02 का शेष भाग हैं।	01-11-2025 और 18-11-2025	रू. 9,81,271.58 (नौ लाख इक्यासी हजार दो सौ ईकत्तर और अट्ठावन पैसे मात्र) 12.11.2025 तक
3	1) श्रीमती शमा सिद्दीकी, पत्नि मोहम्मद अकबर, 2) श्री मो. अकबर, पुत्र मो. कुमार	ऋण खाता सं. 31159630000276 31159410001612 ऋण राशिः रू. 7,15,000/-	अचल संपत्तिः प्रथम मंजिल पर स्थित, 462 वर्ग फुट (42.93 वर्ग मीटर) के सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल वाले फ्लैट संख्या 111 सहित आर.सी.सी. की पूरी ऊपरी संरचना, बहुमंजिला इमारत "लाभ अपार्टमेंट" में स्थित है, जिसका निर्माण प्लॉट संख्या 08 पर हुआ है, जो श्री राम कमल रेजीडेंसी फेज-क्क्क ग्राम नैनोद, पी.एच. संख्या 35/3/1, तहसील एवं जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में सड़क, पश्चिम में साझा मार्ग, उत्तर में फ्लैट संख्या 110 और दक्षिण में मकान संख्या 112।	03-03-2025 और 18-11-2025	रू. 8,25,036.82 (आठ लाख पच्चीस हजार छत्तीस और बयासी पैसे मात्र) 12.11.2025 तक
4	1) श्री अनोखी लाल यादव, पुत्र बाबू लाल, 2) श्रीमती रेखा बाई यादव, पत्नि अनोखी लाल, 3) श्रीमती कमलाबाई यादव, पत्नि बाबूलाल यादव	30600430000251 ऋण राशिः रू. 3,40,000/-	अचल संपत्तिः मकान संख्या 365 वाली वह पूरी जमीन, जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट (55.76 वर्ग मीटर) है, और उस पर बने निर्माण सहित, वार्ड संख्या 06, जोन-01, नौसरबाद रोड कॉलोनी, तहसील एवं जिला देवास (मध्य प्रदेश) में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में सड़क, पश्चिम में मॉडल पब्लिक स्कूल, उत्तर में बलराम का मकान और दक्षिण में सुनील का मकान।	01-11-2025 और 18-11-2025	रू. 3,55,619.14 (तीन लाख पचपन हजार छह सौ उन्नीस और चौदह पैसे मात्र) 12.11.2025 तक
5	1) श्री दत्ता गाडेकर, पुत्र मासु गाडेकर, 2) श्रीमती आशा गाडेकर, पत्नि दत्ता गाडेकर	ऋण खाता सं. 33049420002811 ऋण राशिः रू. 13,50,000/-	अचल संपत्तिः : प्लॉट संख्या 120 और 121 को छोड़कर, कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट (139.35 वर्ग मीटर) वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, उस पर निर्मित सहित, खसरा संख्या 70/2 का भाग, वार्ड संख्या 28, ग्राम बागदून, पी.एच. संख्या 59/117 में स्थित, नगरपालिका पीथमपुर, तहसील पीथमपुर, जिला धार (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में सामान्य सड़क, पश्चिम में प्लॉट संख्या 114, उत्तर में प्लॉट संख्या 122 और दक्षिण में प्लॉट संख्या 119।	01-11-2025 और 18-11-2025	रू. 13,61,982.08 (तेरह लाख इकसठ हजार नौ सौ बयासी और आठ पैसे मात्र) 12.11.2025 तक
6	1) श्री सूरज लोधी, पुत्र मान सिंह, 2) श्रीमती मान सिंह, पत्नि नाथू सिंह	ऋण खाता सं. 45529630000419 45529410001132 31159800000028 ऋण राशिः रू. 12,80,000/-	अचल संपत्तिः प्लॉट/मकान संख्या 123 वाली वह पूरी जमीन, जिसका क्षेत्रफल 630 वर्ग फुट (58.55 वर्ग मीटर) है, और उस पर बने निर्माण सहित, पी.एच. संख्या 96 (सरल संख्या 1045), वार्ड संख्या 09, ग्राम बरोली में स्थित है, जो ग्राम पंचायत बरोली, तहसील एवं जिला देवास (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में: सड़क, पश्चिम में: सार्वजनिक सड़क, उत्तर में: हजारीलाल का मकान और दक्षिण में: जगन्नाथ लोधी का मकान।	01-11-2025 और 21-11-2025	रू. 12,49,601.00 (बारह लाख उन्नचास हजार छह सौ एक मात्र) 17.02.2025 तक
7	1) श्री धीरज सिंह, पुत्र फूल सिंह, 2) श्रीमती कुमारी आशा, पत्नि धीरज सिंह	ऋण खाता सं. 33049420002491 ऋण राशिः रु. 9,45,000/-	अचल संपत्तिः प्लॉट संख्या J-29/2 वाली वह पूरी जमीन, जिसका कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग फुट (27.88 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्मित भवन सहित, डिवर्ट की गई भूमि का हिस्सा है जिसका सर्वेक्षण संख्या 13/1, 13/2, 14/3, 18/1 और 18/2 है, जो रॉयल टाउन, ग्राम महूगाँव, पी.एच. संख्या 4/1 में स्थित है, नगर परिषद की सीमा के भीतर, महूगाँव, तहसील महू, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में कॉलोनी प्लॉट संख्या J-29/1, पश्चिम में कॉलोनी प्लॉट संख्या J-30, उत्तर में कॉलोनी प्लॉट संख्या J-29/3 और दक्षिण में कॉलोनी रोड।	01-11-2025 और 21-11-2025	रू. 9,69,525.39 (नौ लाख उनत्तर हजार पांच सौ पच्चीस मात्र) 12.11.2025 तक
8	1) श्री राजेश, पुत्र मोहनलाल, 2) श्रीमती पार्वती बाई, पत्नि राजेश	ऋण खाता सं. 45581200000175 ऋण राशिः रू. 3,00,000/-	अचल संपत्तिः प्लॉट/मकान संख्या 78 वाली वह पूरी जमीन, जिसका कुल क्षेत्रफल 510 वर्ग फुट है, उस पर बने निर्माण सहित, जो ग्राम मसवाडिया (धार), तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में सड़क, पश्चिम में साझा सड़क, उत्तर में आत्माराम का मकान और दक्षिण में मोहन का मकान।	01-11-2025 और 21-11-2025	रू. 3,10,123.93 (तीन लाख दस हजार एक सौ तेईस और तेरानवे पैसे मात्र) 12.11.2025 तक
9	1) श्री हर्षित नवल, पुत्र सत्यनारायण, (प्रो. एमएस नवल किराना स्टोर), 2) श्रीमती सत्यनारायण, पुत्र रामकरन	ऋण खाता सं. 36419440000197 ऋण राशिः रू. 2,89,000/-	अचल संपत्तिः प्लॉट/मकान संख्या 20 वाली वह पूरी जमीन, जिसका कुल क्षेत्रफल 390 वर्ग फुट (36.23 वर्ग मीटर) है, उस पर बने निर्माण सहित, पी.एच. संख्या 28, जो ग्राम बेदवन्या में स्थित है, ग्राम पंचायत बेदवन्या की सीमा के भीतर, तहसील खाचरोद और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश)। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में आम सड़क, पश्चिम में नानूराम का मकान, उत्तर में रामचंद्र-पीरा का प्लॉट और दक्षिण में राजेंद्र, पुत्र मंगिलाल का मकान।	01-11-2025 और 21-11-2025	रू. 1,09,372.00 (एक लाख नौ हजार तीन सौ बहत्तर मात्र) 12.11.2025 तक
10	1) श्री राजेंद्र, पुत्र हरनाथ, 2) श्री राजकुमारी, पत्नि राजेंद्र सिंह	ऋण खाता सं. 46501230000016 ऋण राशिः रू. 3,00,000/-	अचल संपत्तिः ग्राम बेगार, तहसील अष्टा, जिला सीहोर (मध्य प्रदेश) में स्थित 1014 वर्ग फुट क्षेत्रफल का वह भूखंड/मकान। जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में बद्री सिंह का खुला भूखंड, पश्चिम में स्वयं का मकान, उत्तर में सड़क और दक्षिण में श्री दौलत सिंह का मकान।	01-11-2025 और 21-11-2025	रू. 3,14,075.29 (तीन लाख चौदह हजार पिचहत्तर और उनतीस पैसे मात्र) 12.11.2025 तक
11	1) श्री अमित जोशी, पुत्र अनिल जोशी, 2) श्रीमान अनिल जोशी, पुत्र राम जीवन जोशी, 3) श्रीमती चेतना जोशी, पत्नी अमित जोशी, 4) श्रीमती शारदा जोशी, पत्नि अनिल जोशी	ऋण खाता सं. 45589420000492 45589430000199 ऋण राशिः रु. 57,60,000/-	अचल संपत्तिः आवासीय प्लॉट संख्या 14 वाली वह पूरी जमीन, 1500 वर्ग फुट (139.4 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल वाली, जो आदर्श नगर कॉलोनी, महू-नीमाच रोड, ग्राम बन्नाखेड़ा (जावरा), तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में व्यावसायिक प्लॉट, पश्चिम में कॉलोनी रोड, उत्तर में प्लॉट संख्या 15 और दक्षिण में प्लॉट संख्या 13 पर बना मकान।	01-11-2025 और 21-11-2025	रू. 56,94,286.83 (छप्पन लाख चौरानवे हजार दो सौ छियासी और तिरासी पैसे मात्र) 17.11.2025 तक
12	1) श्री दिलीप सिंह, पुत्र मायाराम, 2) श्रीमती मंजू, पत्नी दिलीप सिंह	ऋण खाता सं. 51850440000022 ऋण राशिः रू. 3,75,000/-	अचल संपत्तिः प्लॉट/मकान संख्या 03 वाली वह पूरी जमीन, जिसका कुल क्षेत्रफल 1530 वर्ग फुट (142.19 वर्ग मीटर) है, और उस पर बने निर्माण सहित, सर्वेक्षण संख्या 50, मकान संख्या 32 का हिस्सा है, जो ग्राम बमनियाखेड़ी में स्थित है, ग्राम पंचायतखेरखेड़ी, तहसील एवं जिला शाजापुर (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर। इसकी सीमाएँ हैं: पूर्व में: साझा सड़क, पश्चिम में: भगवान की जमीन, उत्तर में: कैलाश की जमीन और दक्षिण में: साझा सड़क।	01-11-2025 और 21-11-2025	रू. 3,72,351.25 (तीन लाख बहत्तर हजार तीन सौ इक्यावन और पच्चीस पैसे मात्र) 17.11.2025 तक
13	1) श्री दिनेशचन्द्र, पुत्र कमल, 2) श्री रवि, पुत्र कमल, 3) श्रीमती सीमा बाई, पत्नि कमल, 4) श्रीमान कमल, पुत्र कनीराम	ऋण खाता सं. 47170440000037 47179410000029 ऋण राशिः रु. 4,50,000/-	अचल संपत्तिः मकान संख्या 260, 600 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली वह भूमि, उस पर निर्मित मकान सहित, मकान संख्या 08, ग्राम समनेरा में स्थित, ग्राम पंचायत समनेरा, जनपद पंचायत तराना, तहसील मकदोन/तराना और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर। सीमाएँ: पूर्व नागुलल का मकान, पश्चिम: राम सिंह का मकान, उत्तर: सामान्य सड़क और दक्षिण: सियाराम का मकान।	01-11-2025 और 21-11-2025	रू. 4,20,880.76 (चार लाख बीस हजार आठ सौ अस्सी और छिहत्तर पैसे मात्र) 17.11.2025 तक
14	1) श्री देवकरण गुजराती, पुत्र माधव, 2) श्रीमती सीता बाई गुजराती, पत्नि देवकरण	ऋण खाता सं. 45539420004719 30609430000453 ऋण राशिः रू. 15,00,000/-	अचल संपत्तिः सर्वेक्षण संख्या 31/3 (पैकी) के भाग में स्थित वह संपूर्ण भूभाग, जिसका कुल क्षेत्रफल 57.76 वर्ग फुट है, और उस पर निर्मित मकान संख्या 24 सहित, शंकर नगर (अमोना), ग्राम बावड़िया, तहसील, जिला देवास में स्थित है। (मध्य प्रदेश) बिक्री विलेख के अनुसार, इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में विक्रेता की भूमि, पश्चिम में विक्रेता की भूमि, उत्तर में सड़क और दक्षिण में विक्रेता की भूमि। (वास्तविक स्थल के अनुसार) इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में सड़क, पश्चिम में अन्य मकान, उत्तर में विनोद का मकान और दक्षिण में विजय का मकान।	01-11-2025 और 24-11-2025	रू. 14,25,225.87 (चौदह लाख पच्चीस हजार दो सौ पच्चीस और सतासी पैसे मात्र) 17.11.2025 तक
15	1) श्री जीवन सिंह गुर्जर, पुत्र नानूराम, 2) श्रीमति प्रेम बाई, पत्नी नानूराम	ऋण खाता सं. 45589630000507 ऋण राशिः रू. 2,80,000/-	अचल संपत्तिः प्लॉट/मकान संख्या 72 का वह पूरा भूभाग, जिसका कुल क्षेत्रफल 476 वर्ग फुट (44.23 वर्ग मीटर) है, उस पर निर्मित सहित, सर्वे संख्या 123, पी.एच. संख्या 21 का हिस्सा, ग्राम सिमरोल में स्थित है, जो ग्राम पंचायत सिमरोल, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर आता है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में: चंदर का मकान, पश्चिम में: सड़क, उत्तर में: गुलाब सिंह का मकान और दक्षिण में: बापू सिंह का मकान।	01-11-2025 और 24-11-2025	रू. 2,33,124.41 (दो लाख तैंतीस हजार एक सौ चौबीस और ईकतालीस पैसे मात्र) 17.11.2025 तक
16	1) श्री लालजी राम, पुत्र परबता लाला, 2) श्रीमती रेखा बाई, पुत्र लालजी राम	ऋण खाता सं. 32760430000215 32769410000890 ऋण राशिः रु. 7,50,000/-	अचल संपत्तिः मकान संख्या 08 वाली वह सारी जमीन, जिसका क्षेत्रफल 1600 वर्ग फुट (148.59 वर्ग मीटर) है, उस पर बने निर्माण सहित, ग्राम पारसी पट, मकान संख्या 01, ग्राम पंचायत पारसी, तहसील मकदोन और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में धर्मेंद्र सिंह की जमीन, पश्चिम में तेजूलाल का मकान, उत्तर में कालूराम का मकान और दक्षिण में सड़क।	01-11-2025 और 24-11-2025	रू. 6,99,059.67 छह लाख निन्यानवे हजार उनसठ और सड़सठ पैसे मात्र) 17.11.2025 तक
17	1) श्री लोकेश, पुत्र द्वारका प्रसाद, 2) श्री द्वारका प्रसाद काग, पुत्र पुराजी काग, 3) श्रीमती रीना काग, पत्नि लोकेश काग, 4) श्रीमती मंजुला, पत्नी द्वारिका जी	ऋण खाता सं. 45529420001365 45529410001234 ऋण राशिः रू. 80,00,000/-	अचल संपत्तिः सर्वेक्षण संख्या 643/1/9/1 (पैकी) पर स्थित भूखंड का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 9209.99 वर्ग फुट (855.947 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्मित कंक्रीट की दीवार सहित, वार्ड संख्या 13, ग्राम दलपुरा, लोक निर्माण संख्या 33/58, नगर परिषद राजगढ़, तहसील सरदारपुर, जिला धार (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में अनिल खजांची की भूमि, पश्चिम में गुणवंतलाल मालवी, चतरसिंह और पटवारी का मकान, उत्तर में द्वारकाप्रसाद सिरवी का शेष भाग, और दक्षिण में इंदौर-अहमदाबाद पुरानी सड़क और चतरसिंह और पटवारी का मकान।	01-11-2025 और 24-11-2025	रू. 79,55,699.92 (उन्यासी लाख पचपन हजार छह सौ निन्यानवे और बानवे पैसे मात्र) 17.11.2025 तक
18	1) श्री राकेश, पुत्र भंवर सिंह, 2) श्रीमती पूजा, पत्नी राकेश	ऋण खाता सं. 36410440000233 ऋण राशिः रू. 3,66,000/-	अचल संपत्तिः मकान संख्या 01, 1140 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली वह भूमि, जिसमें निर्मित मकान संख्या 32 भी शामिल है, ग्राम अंत्रालिया में स्थित है, जो ग्राम पंचायत अंत्रालिया, जनपद पंचायत खाचरोद, तहसील नागदा और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के अंतर्गत आता है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में: खाली जगह और हकम सिंह का मकान, पश्चिम में: राजेश का मकान, उत्तर में: बालेश्वर का मकान और दक्षिण में: प्रधानमंत्री रोड।	01-11-2025 और 24-11-2025	रू. 3,49,831.82 तीन लाख उन्नचास हजार आठ सौ इकतीस और बयासी पैसे मात्र) 17.11.2025 तक
19	1) श्री राजेश सिंह, पुत्र बापू जी, 2) श्रीमती सायर बाई, पत्नि राजेश सिंह	ऋण खाता सं. 32760440000221 32769410000950 ऋण राशिः रू. 6,00,000/-	अचल संपत्तिः मकान संख्या 232 वाली वह पूरी जमीन, जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट (92.903 वर्ग मीट